

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1973/आषाढ़ 5, 1895

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1973/ASADHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 26th June 1973

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101-Customs, dated the 6th June, 1966, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification for S. No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Raw wool	12	25 per cent ad valorem."

[No. 101/F. No. 16-TRA(Cus.)/73.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली 26 जून, 1973

सा० का० नि० 325 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 जून, 1966 की अधिसूचना सं० 101-सीमा-शुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 4 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	अपरिष्कृत ऊन	12	25 प्रतिशत मूल्यानुसार "

[स० 101/फा० सं० 16-टी० आर० (सी० शु०)/73]

बा० शु० अग्रवाल, अवर सचिव।